न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 126 / 2015
अपील संख्या : 81 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मदनकंवर पत्नि गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी मारवाड जंक्शन		1 भंवरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 2 भैरूसिंह पुत्र हिम्मतसिंह के का.मु. 2.1 देवीसिंह पुत्र भैरूसिंह 2.2 पर्वतसिंह पुत्र भैरूसिंह 2.3 मदनसिंह पुत्र भैरूसिंह 2.4 गुमानसिंह पुत्र भैरूसिंह 2.5 नाहरसिंह पुत्र भैरूसिंह 2.6 सांवकंवर पत्नि भैरूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 2.7 निहालकंवर (नेलाकंवर) पत्नि कुन्दनसिंह पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ढिलोरिया पोस्ट लाम्बोडी वाया चारभुजा जिला राजसमन्द 3 लालसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 4 मंगलसिंह पुत्र सोहनसिंह के का0मु0 4.1 सज्जनकंवर पत्नि मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 4.2 श्रवणकंवर पत्नि नरेन्द्रसिंह पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा गोपीनाथ पोस्ट सांसरी तहसील देसूरी 4.3 प्रकाशकंवर पत्नि सुमेरसिंह पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी केसूली तहसील देसूरी 5 भीक कंवर बेवा कानसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 6 भंवरकंवर बेवा नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0 7 इन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

8 महेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

9 देवीसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

10 कंचन कंवर बेवा हरीसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

11 खींवसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

12 मानसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0ज0

13 ऊंकारसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

14 विक्रमसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

15 छायाकंवर बेवा सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

16 मांगुसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

17 आसुसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

18 छेलकंवर बेवा रामसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

19 ज्ञानसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

20 शक्तिसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

21 श्यामकंवर बेवा बाघसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा भोजराज (मामावास) धनला तहसील मा0जं0

22 भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन

23 मरूधरा ग्रामीण बैंक, धनला तहसील मारवाड जंक्शन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पी0एम0 जोशी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 22 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.11.17

अपीलाण्ट की ओर से पृथक पृथक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2013 भंवरसिंह वगैरा बनाम भंवरकंवर वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2014 तथा 11.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि दोनो ही अपीले एक ही प्रकरण, एक ही पक्षकार एवं एक ही भूमि से सम्बन्धित होने के कारण अपीलों को इस निर्णय के जरिये निर्णित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गुडा भोजराज (मामावास) के खसरा नम्बर 51 रकबा 5.5391 हैक्टेयर की भूमि में से अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स से 0.2529 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की तथा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण, जो इस अपील में रेस्पोडेन्ट संयोजित है, ने मिलावट कर बिना अपीलार्थी को पक्षकार नियोजित किए दिनांक 11.10.2013 को वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी अन्य भूमियों सहित खसरा नम्बर 51 की सम्पूर्ण आराजी स्वयं की बताते हुए विभाजन का अनुतोष चाहा। दिनांक 11.03.2014 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन को अधिकृत करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नजरी नक्शे सहित प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। जबकि वाद विचारण से पूर्व ही राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बतौर सह खातेदार दर्ज था, इसके बावजूद भी न तो अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया गया तथा न ही उसे किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर दिया गया। समस्त कार्यवाही वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मिलावट कर सम्पादित करवाई है, जो आरम्भ से ही शून्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। अपीलार्थी के हक अधिकार, आधिपत्य, काश्त, निर्माण आदि होते हुए भी उसे जानकारी दिए बिना, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया, उसमें तकनीकि त्रुटी के कारण अपीलाण्ट का नाम पक्षकार बनाने से छूट गया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें अपीलाण्ट का हिस्सा दर्शित किया है। अपीलाण्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा 1 बीघा भूमि का विक्रय किया गया है, वह भूमि अपीलाण्ट को सड़क पर दी गई है, जो इनके हिस्से अनुसार पूर्ण है। अपीलाण्ट ने इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अनुतोष चाहा है, जबकि प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो चुकी है तथा उस अन्तिम डिक्री के अनुक्रम में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो चुका है। उक्त डिक्री अनुसार रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ किया, तो अपीलाण्ट ने उक्त निर्माण कार्य रूकवा दिया। जो भूमि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट को विक्रय की है, उसमें अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही चारदीवारी बनी हुई है। उसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कभी भी हस्तक्षेप नही किया। अपीलाण्ट 1 बीघा भूमि की हकदार होते हुए भी सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अब अपीलाण्ट जिस अनुतोष के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है, वह अनुतोष तो उन्हे पूर्व में ही दिया जा चुका है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा धनला के खसरा नम्बर 51, 52, 53, 54, 55, 57, 639, 640, 680, 681, 682, 683 व 756 कुल खसरा 13 जिसका कुल रकबा 39.4815 हेक्टेयर की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार विभाजन कर पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। इसके पश्चात दिनांक 11.03.2014 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश जारी किये गए तथा प्राथमिक डिक्री परचा जारी करते हुए वादग्रस्त आराजी का दोनो पक्षों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को आदेश दिये गए। इस आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/43 दिनांक 08.01.2015 के जरिये प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किया, जिसमें अपीलाण्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 51/65 रकबा 0.2529 हैक्टेयर की भूमि रखी गई, जबकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में न तो पक्षकार थी तथा न ही अपीलाण्ट को वाद में किसी प्रकार से चाराजोही करने का अवसर ही दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना सुनवाई का तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये, उसकी सह खातेदारी भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश पारित किए गए, जो विधि सम्मत नही है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपील आदेश को न्यायोचित नही माना जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये है, उनके सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नही होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अनुचित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2013 भंवरसिंह वगैरा बनाम भंवरकंवर वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2014 तथा 11.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति संबन्धित पत्रावलीयों में संलग्न की जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली